

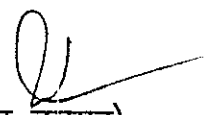
1

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025-26 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अधीन खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना) अंतर्गत न्युट्री सिरियल (मिलेट्स) योजना के तहत खरीफ मौसम में मिलेट्स फसल को बढ़ावा देने हेतु मिलेट्स कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं कुल 4675.00 लाख (छियालिस करोड़ पचहत्तर लाख) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।

इस योजना अंतर्गत मिलेट्स प्रत्यक्ष अनुदानित दर पर संकर एवं प्रमाणित बीज वितरण, INM एवं IPM, आयोजन/कार्यशाला/प्रचार-प्रसार एवं मिलेट्स प्रोसेसिंग युनिट की स्थापना संबंधित कार्य किये जायेंगे। योजना कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य में मिलेट्स के उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही किसानों को अधिक आय प्राप्त होगा।


(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

2

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में अनियमित मॉनसून/सूखे /अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना अन्तर्गत धान, मक्का, जूट, दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की सिंचाई हेतु डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए 10000.00 लाख(एक सौ करोड़) रु० की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जायेगा।

फसलों के आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करने पर उत्पादन में वृद्धि होगी। अनियमित मॉनसून/सूखा की स्थिति से आच्छादित फसलों में डीजल अनुदान योजना से सुखे के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

खरीफ फसलों के एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुमान के अनुसार 75 रु० प्रति लीटर डीजल पर अनुदान के आलोक में 750 रु० प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से अनुदान अनुमान्य होगा। एक किसान को धान का बीचड़ा बचाने एवं जूट हेतु दो सिंचाई के लिए 1500 रु० प्रति एकड़ की दर से तथा धान, मक्का, अन्य खरीफ फसलों के अन्तर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधे हेतु एक ही खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रु० प्रति एकड़ की दर से अनुदान अनुमान्य होगा। एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान अनुमान्य होगा।


(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

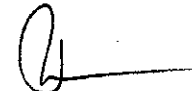
3

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत रबी में गेहूँ बीज विस्थापन दर में वृद्धि के निमित्त कार्यान्वयन हेतु कुल 6500.00 लाख (पैंसठ करोड़) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गेहूँ के नये बीजों के उपयोग को बढ़ावा देते हुए बीज विस्थापन दर को बढ़ाना एवं उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि एवं किसानों को नवीनतम प्रभेदों के उपयोग हेतु जागरूक करना है। इससे गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता में बढ़ोतरी एवं उपयोग से उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि होने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।



(पंकज कुमार)

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

4

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत रबी दलहन (चना) प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 3021.112 लाख (तीस करोड़ इक्कीस लाख ग्यारह हजार दो सौ) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में चना के उत्पादन को बढ़ावा देना है ताकि बाजार की मांग के अनुसार चना उपलब्ध हो एवं किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी एवं वह खुशहाल होंगे।

()
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रेस नोट

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम- 2006 के आलोक में स्वच्छ एवं पर्यावरण के अनुकूल उर्जा की आवश्यकता के मद्देनजर प्राकृतिक गैस को विकल्प के रूप में चयनित किये जाने हेतु बिहार शहरी गैस वितरण नीति, 2025 की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार शहरी गैस वितरण नीति-2025 के निर्धारण से राज्य में प्राकृतिक गैस को हरित और स्वच्छ ईंधन के रूप में अपनाने को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन और घरेलू उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकेगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भारत की प्रतिबद्धता में योगदान मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त सीजीडी का लाभ यथाशीघ्र आमजन तक पहुँच सकेगा।

हस्ताक्षर:-

नाम:- पंकज कुमार

पदनाम:- प्रधान सचिव

6

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-131(छ) के तहत बिहार राज्य की सीमा के अन्तर्गत सीमा शुल्क (निवारण), विभाग, भारत सरकार द्वारा जब्त किये गये रक्त चंदन काष्ठ का निष्पादन अथवा बिक्री नामांकन के आधार पर भारत सरकार के उपक्रम एम.एस.टी.सी. लिमिटेड (मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति का निर्णय लिया गया।


(हरजोत कौर बम्हरा)
अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

गया जिलान्तर्गत अंचल—डोभी के मौजा—बख्तौरा, थाना सं०—158 के खाता सं०—34 के विभिन्न खेसरा की कुल रकबा—10.31^{1/2} एकड़, किस्म—पुरानी परती, बिहार सरकार के स्वामित्व की भूमि बिहार सहकारिता प्रशिक्षण—सह—शोध संस्थान की स्थापना हेतु सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को स्थायी निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :—

नाम :— (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :— अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेस नोट

बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2021 (यथासंशोधित नियमावली, 2023) लागू होने के उपरान्त बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2021 के नियम-8 (क) एवं (ग) और नियम-14 में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में बिहार विधि सेवा (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 और बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 अप्रासंगिक हो गयी है, क्योंकि नयी नियमावली (बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2021) के प्रवृत्त हो जाने के कारण विधिक कार्य सुगमतापूर्वक किया जा रहा है। अतएव उक्त के आलोक में बिहार विधि सेवा (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 और बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 को निरसित किया जाना आवश्यक है।

उक्त दोनों अप्रासंगिक नियमावलियों को निरसित किये जाने हेतु बिहार विधि सेवा (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्तें) (निरसन) नियमावली, 2025 (अनुलग्नक-02) और बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्तें) (निरसन) नियमावली, 2025 (अनुलग्नक-03) को अधिसूचित किये जाने के प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति अपेक्षित है।



(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

9

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार राज्य स्थित सैनिक स्कूल, नालन्दा एवं सैनिक स्कूल, गोपालगंज में अध्ययनरत राज्य के छात्रों को पोषाहार मद में दी जाने वाली आर्थिक सहायता तथा विद्यालय के स्थापना व्यय हेतु दिये जानेवाली आर्थिक सहायता में वृद्धि से शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो सकेगा। अध्ययनरत राज्य के छात्रों को पोषाहार मद में पुनरीक्षित दर से राशि उपलब्ध कराने पर उन्हें आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा तथा उनके उत्साह में वृद्धि होगी। विद्यालय के स्थापना व्यय हेतु दिये जानेवाली आर्थिक सहायता को पुनरीक्षित करने पर विद्यालय के सफल संचालन तथा विद्यालय में समुचित वातावरण उत्पन्न करने में सहयोग प्राप्त होगा।

Dr

(दिनेश कुमार)

सचिव,

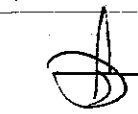
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

10

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेस नोट

बिहार भवन, बिहार निवास एवं बिहार सदन, नई दिल्ली की व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु कुल 11 (ग्यारह) पुराने वाहनों को निष्प्रयोजित एवं निलामी करने की शर्त पर 07 (सात) नये मारुति सुजुकी सियाज (Maruti Suzuki Ciaz) एवं 04 (चार) नये टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (Toyota Innova Crysta) कुल 11 (ग्यारह) नये वाहनों के क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रुपये 2.13 करोड़ (दो करोड़ तेरह लाख रुपये) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।



(सुमन कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

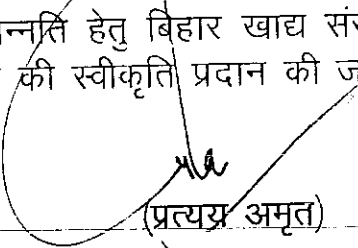


11

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार खाद्य संरक्षा सेवा के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के मूल कोटि (खाद्य संरक्षा अधिकारी) के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति एवं संवर्ग के अन्य पद सोपान पर नियमित प्रोन्नति हेतु बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य संरक्षा संवर्ग) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(प्रत्यय अमृत)

सरकार के अपर मुख्य सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

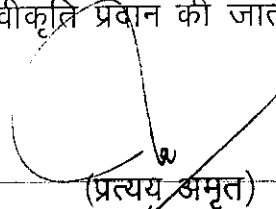


50
50
12

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार खाद्य संरक्षा सेवा के अधीन खाद्य विश्लेषक संवर्ग के मूल कोटि (खाद्य विश्लेषक) के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति एवं संवर्ग के अन्य पद सोपान पर नियमित प्रोन्नति हेतु बिहार खाद्य संरक्षा सेवा (खाद्य विश्लेषक संवर्ग) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।



(प्रत्यय अमृत)

सरकार के अपर मुख्य सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

885

विभाग का नाम:- वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

13

प्रेस नोट

स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-8(ख) में संशोधन कर इसे 8(ख) एवं 8(ग) के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

हस्ताक्षर



नाम:- आनन्द किशोर

पदनाम:- प्रधान सचिव

27/12/24

बिहार सरकार
वित्त विभाग

:: प्रेस नोट ::

CFMS एवं WAMIS को लागू करने में परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य (Project Management Consultancy, PMC) एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य परामर्शी M/s PwC Pvt. Ltd. द्वारा किया जा रहा है, जिसका अवधि विस्तार दिनांक-30.04.2025 को समाप्त हो गया है।

2. उपर्युक्त परियोजना पर आगे भी परामर्शी कार्य हेतु M/s PwC Pvt. Ltd. के अधिप्राप्ति एवं इस पर आकलित राशि ₹2,69,96,853/- (दो करोड़ उनहत्तर लाख छियानबे हजार आठ सौ तिरपन रुपये) रुपये मात्र व्यय की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है।

(आनन्द किशोर),

प्रधान सचिव,

वित्त विभाग, बिहार, पटना ।



मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक-503

दिनांक:-22.06.2022 के आलोक में

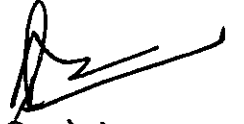
विभाग का नाम:- वित्त विभाग, बिहार, पटना

संचिका सं०:-08/एन०बी०एफ०सी०-09/2019

15

प्रेस नोट

राज्य में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (CSR Fund) के सतत अनुश्रवण एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, 2025 (CSR Policy 2025) एवं बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सोसाइटी (CSR Society) का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है।


(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
वित्त विभाग

16

:: प्रेस नोट ::

M/s IPE Global Pvt. Ltd. द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) में परियोजना प्रबंधन परामर्श (Project Management Consultancy, PMC) एवं तकनीकी सहायता का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में उक्त एजेंसी के साथ किए गए एकरारनामा के अनुसार उक्त परामर्शी का अवधि विस्तार दिनांक-30.04.2025 को समाप्त हो गया है।

2. चूँकि इस योजना में तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य पूर्व से M/s IPE Global Pvt. Ltd. के सहयोग से किया जा रहा था, इसलिए इनके द्वारा आगे भी तकनीकी सहायता एवं परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य (PMC) पूर्व में निर्धारित दर के आधार पर 24 (चौबीस) माह (दिनांक-01.05.2025 से दिनांक-30.04.2027 तक) के कार्य हेतु कुल ₹3,22,47,672/- (तीन करोड़ बाईस लाख सैतालीस हजार छः सौ बहत्तर) रुपये मात्र व्यय की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त एजेंसी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (Internal Audit Management System-IAMS) में तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु 12 (बारह) माह के लिए कुल ₹97,46,088/- (संतानबे लाख छियालीस हजार अठासी) रुपये व्यय की स्वीकृति का भी निर्णय लिया गया है।

3. इस प्रकार उक्त एजेंसी को मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (Human Resource Management System-HRMS) तथा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (Internal Audit Management System-IAMS) को लागू करने में परियोजना प्रबंधन परामर्श कार्य (Project Management Consultancy, PMC) एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु कुल राशि ₹4,19,93,760/- (चार करोड़ उन्नीस लाख तिरानबे हजार सात सौ साठ) रुपये मात्र व्यय की स्वीकृति का निर्णय लिया गया है।

(आनन्द किशोर),

प्रधान सचिव

वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

Sony

2

1

2

50
50

17

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य स्कीम मद से डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड-सह-अंचल कुढ़नी, जिला-मुजफ्फरपुर में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन कुल ₹65,80,11,000/- (पैंसठ करोड़ अस्सी लाख ग्यारह हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

विभागीय संकल्प संख्या-1165 दिनांक-28.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष-2022-23 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की 50000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों, जहाँ डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति शेष है, में डॉ० भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय (720 आसन) की स्थापना एवं निर्माण का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त स्वीकृति के अतिरिक्त वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 66 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 25 आवासीय विद्यालय संचालित है एवं 26 नवस्वीकृत आवासीय विद्यालयों सहित सभी आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।


(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव

(18)

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य स्कीम मद से 720 आसन वाले राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, मसानी अंचल-चैनपुर तथा कोल्हुआ, अंचल-अधौरा, जिला कैमूर में संचालित दो (2) आवासीय विद्यालयों का पुनर्निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के अनुसार प्रति आवासीय विद्यालय ₹65,80,11,000/- (पैंसठ करोड़ अस्सी लाख ग्यारह हजार रु०) मात्र की दर पर कुल (₹65,80,11,000x2)= ₹131,60,22,000/- (एक सौ एकतीस करोड़ साठ लाख बाईस हजार रु०) मात्र की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2206 दिनांक-28.08.2017 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक उत्क्रमितकरते हुए प्रत्येक विद्यालय में छात्रबल 720 करने की स्वीकृति दी गई है, जिसके आलोक में सभी आवासीय विद्यालयों की आधारभूत संरचना का विकास एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत क्रमिक रूप से किया जा रहा है। आवासीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास होने के पश्चात् 10+2 स्तर तक की पठन-पाठन प्रारंभ किया जाएगा।

उपरोक्त स्वीकृति के अतिरिक्त वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 66 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 25 आवासीय विद्यालय संचालित है एवं 26 नवस्वीकृत आवासीय विद्यालयों सहित सभी आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।


(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत गर्दनीबाग क्षेत्र में पटना सदर अंचल के मौजा-धीराचक, थाना नं०-16 में स्थित विभिन्न खाता एवं खेसराओं में स्थित कुल रकबा-04 एकड़ भवन निर्माण विभाग (पुराना लोक निर्माण विभाग), बिहार के स्वामित्व की भूमि को महालेखाकार कार्यालय एवं आवास निर्माण हेतु बिहार वित्त नियमावली के नियम-441 के अन्तर्गत परिशिष्ट-15 में निरूपित प्रावधानों को शिथिल करते हुए भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, भारत सरकार को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :- अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

20

बेगूसराय जिलान्तर्गत अंचल-चेरियाबरियारपुर के मौजा-
सोनवर्षा, थाना सं०-८०, खाता सं०-९० एवं १६८ के विभिन्न खेसरा की
कुल प्रस्तावित रकबा-३३.४४ एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि पर बिहार
विशेष सशस्त्र पुलिस-१९, बेगूसराय वाहिनी की स्थापना हेतु गृह
विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण की
स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-



नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :- अपर मुख्य सचिव

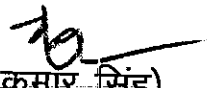
बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

21

प्रेस नोट

ऊर्जा संरक्षण और बिजली उपलब्धता में सुधार एवं जीवाश्म ईंधनों से जुड़े स्वास्थ्य व पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम करने और हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति-2025 प्रारूप की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति-2025 प्रारूप की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।


(मनोज कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

22

संचिका संख्या— ग्रा.वि.—10/बजट—06/2025 (खंड)

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2025-26 में "बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड" हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 'अंश पूंजी' (Share Capital), अनुदान एवं स्थापना' व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 42 अंतर्गत 10500.00 लाख (एक अरब पांच करोड़) रुपये की राशि की बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

04/01/25

(23)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

“योजना शीर्ष नाबार्ड ऋण संपोषित राज्य योजना” के तहत समस्तीपुर जिला के कार्य प्रमंडल-रोसड़ा अंतर्गत सिंहीया प्रखण्ड के अधीन “करेह नदी माहेघाट पर माहे से भटण्डी रोड पर उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य” पुल की लम्बाई-446.420 मी० की कुल प्राक्कलित राशि 6501.610 लाख रुपया (पैंसठ करोड़ एक लाख इकसठ हजार रुपया) मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने पर निर्णय लिया गया। इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढाँचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।


(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

पथ प्रमंडल समस्तीपुर अंतर्गत मोहिउद्दीननगर (बलुआही) से पतसीया पथ भाया धरमपुर एवं चकला (कुल लंबाई 6.80 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि रु० 3236.52 लाख (रुपये बत्तीस करोड़ छत्तीस लाख बावन हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लंबाई 6.80 कि०मी० है। इस पथ के वर्तमान कैरेज वे 3.75मी० को बढ़ाकर 5.5मी० किया जाना है।

यह पथ मोहिउद्दीननगर (बलुआही) से पतसीया पथ भाया धरमपुर एवं चकला तक जाती है।

विषयांकित योजना के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन प्राप्त होगा।



(संदीप कुमार आर०पुडकलकट्टी)

सचिव,

पथ निर्माण विभाग,

बिहार, पटना।

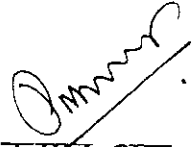
प्रेस नोट

पथ प्रमंडल मधेपुरा अंतर्गत चांदनी चौक मधेपुरा (एन.एच.-107) से पस्तपार (एन.एच.-106) भाया मुरहो, हनुमान नगर (कुल लंबाई 10.813कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹3769.46 लाख (रुपये सैतीस करोड़ उनहत्तर लाख छियालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लंबाई 10.813कि०मी० है। इसके वर्तमान कैरेज वे 3.75मी० को बढ़ाकर 5.50मी० किया जाना है।

यह पथ चांदनी चौक मधेपुरा (एन.एच.-107) से प्रारम्भ होकर मुरहो, हनुमान नगर होते हुए पस्तपार (एन.एच.-106) तक जाती है।

विषयांकित योजना के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन प्राप्त होगा।


(संदीप कुमार आर०पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

पथ निर्माण विभाग

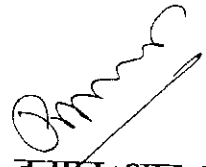
प्रेस नोट

पथ प्रमंडल बेतिया अंतर्गत बगहा-सेमरा पथ चैनेज 0.00 से चैनेज 14.00 (कुल लंबाई 14.00 कि०मी०) में एक अर्द्ध 2×16 मी० आकार का उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹6450.33 लाख (रुपये चौसठ करोड़ पचास लाख तेतीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लंबाई 14.00 कि०मी० है। इस पथ के वर्तमान कैरेज वे 3.05 मी० को बढ़ाकर 5.5 मी० किया जाना है।

यह पथ बगहा से प्रारम्भ होकर गोइटी, मंझरिया, कथुलिया बाजार, विजयनगर, सेमरा बाजार होते हुए सेमरा तक जाती है।

विषयांकित योजना के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन प्राप्त होगा।


(संदीप कुमार आर०पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

पथ प्रमंडल गोपालगंज अंतर्गत बरौली सुरवल मोड़ से नुतन मोड़ भाया कल्याणपुर (कुल लंबाई 7.70 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹3556.34 लाख (रुपये पैतीस करोड़ छप्पन लाख चौतीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लंबाई 7.70 कि०मी० है। इस पथ के वर्तमान कैरेज वे 3.50मी०/3.75 मी० है, जिसे बढ़ाकर 7.00मी० किया जाना है।

यह पथ बरौली सुरवल मोड़ से नुतन मोड़ भाया कल्याणपुर तक जाती है।

विषयांकित योजना के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन प्राप्त होगा।


(संदीप कुमार आर०पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

पथ प्रमंडल सहरसा अंतर्गत महुआ बाजार से ग्वालपारा पथ भाया बलेथा, बसनही (कुल लंबाई 9.103 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹3944.59 लाख (रुपये उनतालिस करोड़ चौवालिस लाख उनसठ हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लंबाई 9.103 कि०मी० है। इस पथ के वर्तमान कैरेज वे 3.50मी०/4.50 मी० है, जिसे बढ़ाकर 5.5मी० किया जाना है।

यह पथ महुआ बाजार से ग्वालपारा पथ भाया बलेथा, बसनही तक जाती है।

विषयांकित योजना के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन प्राप्त होगा।


(संदीप कुमार आर०पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

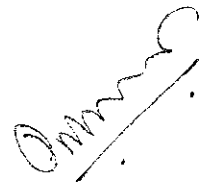
प्रेस नोट

29

पथ प्रमंडल नवादा अंतर्गत नवीन, हिसुआ बाईपास (NH-82 पर बगोदर से SH-8 के उर्सा अगहर भाया बगोदर व समवक पथ) पथ के चैनेज कि.मी. 0.00 से कि.मी. 2.90 तक निर्माण कार्य हेतु कुल 3519.355 लाख (पैंतीस करोड़ उन्नीस लाख पैंतीस हजार पाँच सौ) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ की कुल लंबाई 2.90 कि.मी. है एवं पथ परत की वर्तमान औसत चौड़ाई 3.05 मी० है। जिसे चौड़ीकरण कर 7.00मी० (2लेन) किया जाना है।

विषयांकित बाईपास पथ गया से नवादा, सिकन्दरा, जमुई एवं देवधर जाने वाले यात्रियों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा क्योंकि हिसुआ बाजार अत्यंत व्यस्त होने एवं हिसुआ चौक के पारा बस रुक होने के कारण जाम की समस्या बनी रहती है। इसके बन जाने से आम लोगों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात का एक अतिरिक्त विकल्प प्राप्त होगा।


(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

पथ प्रमंडल, नवादा जिलांतर्गत लेधा, कझिया, नाद, कूलना कौशी हवार भुमई अकबरपुर पथ (SH-103) तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (कुल लंबाई 13.70 कि.मी.) हेतु 6970.23 लाख (उनहत्तर करोड़ सत्तर लाख तेईस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ के प्रारंभ बिन्दु लेधा (बरेव-गोविन्दपुर पथ) एवं अंत बिन्दु अकबरपुर (SH-103) है। यह पथ लेधा, कझिया, नाद, कूलना कौशी हवार भुमई अकबरपुर होते हुए SH-103 पर मिलती है। पथ की कुल लम्बाई 13.70 कि०मी० है। पथ परत की वर्तमान चौड़ाई 3.05 मी० है जिसे बढ़ाकर 5.50मी० करने का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है। आवश्यकतानुसार पथ में क्रॉस ड्रेन, कल्भर्ट का प्रावधान प्रस्तुत प्राक्कलन में किया गया है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।



(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)

सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(31)

प्रेस नोट

श्रीलोकेश्वर प्रमंडल, आरा जिलांतर्गत कुरमुरी से बंधवा पथ का चौड़ीकरण एवं सुरक्षीकरण कार्य (कुल लंबाई 8.800 कि.मी.) हेतु 3353.24 लाख (तैंतीस करोड़ तिरिया लाख सौबीस हजार) मात्र रूपये में अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

विषय पथ का प्रारंभ बिन्दु कुरगुरी से अंत बिन्दु बन्धवा है। पथ की कुल लम्बाई 8.800 मीटर है। पथ परत की वर्तमान चौड़ाई 3.75 मी० है जिसे बढ़ाकर 5.50मी० करने का काम कायकलन में किया गया है।

विषय पथ के समाप्त होने के पुरा हो जाने से यात्रियों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन सम्भव है।


(संतीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

32

प्रेस नोट

मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड के भदुआर घाट (पूर्वी तटबंध) एवं झंझारपुर प्रखंड के खैरा घाट (पश्चिमी तटबंध) के मध्य कमला बलान नदी पर 39x24.00 m आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल एवं पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु कुल ₹ 15412.53 लाख (एक सौ चौवन करोड़ बारह लाख तिरेपन हजार रुपये) के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

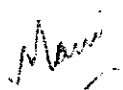
प्रस्तावित पुल मधुबनी जिले का महत्त्वपूर्ण पुल है। इसके निर्माण हो जाने से क्षेत्र के लोगों का आवागमन सुलभ हो सकेगा। यह पुल मधुबनी जिला के अंधराठाढ़ी प्रखंड के भदुआर घाट एवं झंझारपुर प्रखंड के खैरा घाट के मध्य कमला बलान नदी पर अवस्थित है। पुल निर्माण हो जाने से दोनों प्रखंडों की सम्पर्कता सुलभ हो सकेगी तथा आवागमन सुलभ होने से दोनों प्रखंडों एवं जिले के विकास में वृद्धि होगी।



(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)

सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



प्रेस नोट

पथ प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत माधोपुर-बहुरूपिया से दुबौलिया चौक (NH-727) कि०मी० 0.00 से 7.00 कि०मी० तक (कुल लम्बाई-7.00 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹ 3170.52 लाख (इकतीस करोड़ सत्तर लाख बावन हजार रुपये) के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

प्रस्तावित पथ पूर्वी चम्पारण जिले का महत्वपूर्ण पथ है। यह पथ मंझौलिया प्रखंड के दुबौलिया चौक (NH-727) को सुगौली Railway Station से संपर्कता प्रदान करेगी। इसके निर्माण हो जाने से क्षेत्र के लोगों का आवागमन सुलभ हो सकेगा। यह पथ शहरी आवागमन को सुचारु रूप से संचालन करेगा एवं जाम से मुक्ति मिलेगी। आवागमन सुलभ होने से क्षेत्र के विकास में वृद्धि होगी।



(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)

सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

W/Mani

4

प्रेस नोट

पथ प्रमंडल, दरभंगा अन्तर्गत बहादुरपुर प्रखण्ड के कपछाही से दाईंग भाया अम्मपट्टी, दशरथपट्टी, गैघट्टी, सतधरा, दरगाहा पथ के चैनेज 0.00 से 5.00 तक (कुल लम्बाई—5.00 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹ 3960.29 लाख (उनचालीस करोड़ साठ लाख उनतीस हजार रुपये) के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

प्रस्तावित पथ दरभंगा जिले का महत्त्वपूर्ण पथ है। यह पथ शैनी चौक से उधरा पथ के 3सरे कि०मी० के कपछाही से प्रारंभ होकर अम्मापट्टी दशरथपट्टी, गैघट्टी, सतधरा दरगाहा होते हुए शैनी चौक से उधरा पथ के 10वें कि०मी० के दाईंग में मिलती है। यह पथ शहरी आवागमन को सुचारु रूप से संचालन करेगा एवं जाम से मुक्ति मिलेगी। आवागमन सुलभ होने से क्षेत्र के विकास में वृद्धि होगी।



(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)

सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Mani

4

प्रेस नोट

पथ प्रमंडल, ढाका अन्तर्गत चकिया (NH-27) मधुबन पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 10.20 तक (कुल लम्बाई—10.20 कि०मी०) पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹ 3857.42 लाख (अड़तीस करोड़ सन्तावन लाख बियालीस हजार रुपये) के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

प्रस्तावित पथ पूर्वी चम्पारण जिले का महत्वपूर्ण पथ है। यह पथ पिपरा कोठी मेहषी से प्रारंभ होकर चकिया, मेला बाजार, मधुबन बाजार आदि जगहों से होकर गुजरती है। कृषकों को कृषि उत्पाद बाजार तक पहुँचाना सुगम हो जायगा। यह पथ शहरी आवागमन को सुचारु रूप से संचालन करेगा एवं जाम से मुक्ति मिलेगी। आवागमन सुलभ होने से क्षेत्र के विकास में वृद्धि होगी।



(संदीप कुमार आर० पुडकलकट्टी)

सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Mani

प्रेस नोट

कटिहार जिलान्तर्गत पूर्णियाँ-कटिहार पथ के पुराने संरेखन एन०एच०-131 ए दलन चौक से मनिहारी मोड़ होते हुए कुशवाहा चौक तक कुल लम्बाई-14.00 कि०मी० पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल ₹ 5566.53 लाख (पचपन करोड़ छियासठ लाख तिरेपन हजार रूपयें) के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

प्रस्तावित पथ कटिहार जिले का महत्त्वपूर्ण पथ है। इसके निर्माण हो जाने से क्षेत्र के लोगों का आवागमन सुलभ हो सकेगा। यह पथ शहरी आवागमन को सुचारु रूप से संचालन करेगा एवं जाम से मुक्ति मिलेगी। आवागमन सुलभ होने से क्षेत्र के विकास में वृद्धि होगी।


(संदीप कुमार, आर० पुडकलकट्टी)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Mani

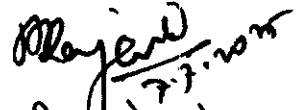
R

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

(37)

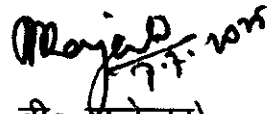
प्रेस-नोट

"बिहार युवा आयोग के गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति।"


(डॉ. बी. राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
प्रेस नोट

बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराने के संबंध में निर्णय लिया गया है।


(डॉ० बी० राजेन्दर)
अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेस नोट

पंचायती राज विभाग के स्वतंत्र विभाग के रूप में पुर्नगठन के साथ ही विभाग के बढ़ते कार्यक्षेत्र एवं गतिविधियों के दृष्टिकोण से पंचायती राज विभाग नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय यथा उप निदेशक (पंचायत राज) का कार्यालय/जिला पंचायत राज कार्यालय/कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति का कार्यालय/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु सेवा की विनियमित किये जाने के उद्देश्य से लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2018 का गठन किया गया है।

पंचायती राज विभाग के संकल्प ज्ञापांक 7681 दिनांक 17.06.2025 द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर निम्न वर्गीय लिपिक के 8093 पदों को सृजित किया गया है। इस हेतु पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2018 के नियम-2 के उपनियम (ii), 4 के उपनियम (1), 8 एवं 10 में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।



(मनोज कुमार)
सचिव

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

40

प्रेस नोट

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' अन्तर्गत राज्य के पिछड़ा वर्ग (BC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों, जिन्हें राज्य सरकार के सदृश्य सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत कोई आर्थिक सहयोग देय नहीं है, को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के द्वारा सिविल सेवा हेतु आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी हेतु क्रमशः रू0 50,000/- (पचास हजार) एवं रू0 1,00,000/- (एक लाख) की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।



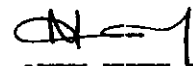
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

41 2/50

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेस नोट

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पशुपालन निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा पशु चिकित्सालयों में वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कर्मियों के अनेक पद रिक्त होने के फलस्वरूप पशु चिकित्सालयों एवं कार्यालयों का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त कार्यों की अधिकता एवं विविधता को देखते हुये आवश्यकता आधारित मानव बल की सेवाएँ आउटसोर्सिंग के आधार पर प्राप्त किये जाने की आवश्यकता है। अतः उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना" के तहत आउटसोर्सिंग के आधार पर कर्मियों की सेवा प्राप्त किये जाने हेतु कुल रुपये 58,56,34,100/- (अन्ठावन करोड़ छप्पन लाख चौत्तीस हजार एक सौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी है।


अपर मुख्य सचिव

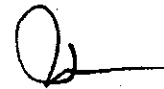
बिहार सरकार
कृषि विभाग

42

प्रेस नोट

डिजिटल एग्रीकल्चर {नेशनल ई गवर्नेंस प्लान कृषि (कृषोन्नति योजना)} के अन्तर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत डाटा इण्ट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल 3324.93893 लाख (तेतीस करोड़ चौबीस लाख तेरानवे हजार आठ सौ तेरानवे) रुपये की निकासी एवं व्यय के स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा पर कार्यरत डाटा इण्ट्री ऑपरेटरों एवं कार्यपालक सहायकों के मानदेय का भुगतान किया जाना है। इससे सभी संभागों में संचालित केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ यथा- डिजिटल क्रॉप सर्वे, फार्मर्स रजिस्ट्री आदि में सहयोग के साथ-साथ राज्य योजनाओं में डेटा को सटीक और विश्वसनीय रूप से दर्ज करना है, और डेटा की गुणवत्ता बनाये रखना है। सटीक डेटा के माध्यम से सरकार को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जिससे सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को और बेहतर बनाया जा सकता है। पीएफएमएस एवं अन्य पोर्टल के माध्यम से विपत्रों को ऑनलाइन तैयार किया जा सकेगा।



(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग।
प्रेस नोट

केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—प्रति बूंद अधिक फसल (60:40) अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई तथा अन्य अंतःक्षेप अवयव (80:20) का वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 14066.66 लाख (एक सौ चालीस करोड़ छियासठ लाख छियासठ हजार) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी श्रेणी के किसानों को ड्रिप सिंचाई अधिष्ठापन हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 80 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों के लिए 70 प्रतिशत तथा स्प्रिंकलर सिंचाई अधिष्ठापन हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 55 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों के लिए 45 प्रतिशत अनुदान देय होगा। अन्य अंतःक्षेप अन्तर्गत व्यक्तिगत नलकूप एवं समरसेबल हेतु कृषकों को अधिकतम 40000.00 रुपये अनुदान देय होगा तथा इस वित्तीय वर्ष से ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने वाले कृषकों को तालाब/कुआँ निर्माण पर भी कुल लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 75000.00 रुपये अनुदान का प्रावधान है।

किसानों के खेत में इस तकनीक का उपयोग करने से 60 प्रतिशत सिंचाई जल की बचत तथा 25 से 35 प्रतिशत पैदावार में वृद्धि संभव है। नई तकनीक होने के कारण इसके प्रति किसानों को जागरूक करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर किसानों को जागरूक किया जायेगा ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना के महत्व एवं जानकारी का लाभ उठा सकें।


(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव
कृषि विभाग, बिहार